न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. संभाग ग्वालियर म0प्र0

प्र0क्र0 /18

निगरानी- 3053/2018/अशोकनगर/भू.रा.

नन्नुलाल पुत्र भवंरलाल जाति कायस्थ निवासी श्यामगढ तहसील

ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0 निगरानीकर्ता

श्री ..... द्वारा आज दि. 17-5-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

(1) ..... पुत्र दंगलसिह जाति गर्जुर निवासी बृजपुरी

तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0

(2) म.प्र. शासन द्वारा ..... प्रतिनिगरानी

निगरानी

धारा 50)म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के तहत

निगरानी

विरूद्ध आदेश अधिनस्थ न्यायालय के श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ईसागढ के उनके प्र0क्र0 40अपील16-17 आदेश दिनांक 27/11/017 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय

सेवा मे निगरानीकर्ता की और से अपील सादर निम्न प्रकार प्रस्तुत है

नन्नूलाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./3053/2018/अशोकनगर/भू.रा.

नन्नुलाल विरूद्ध प्राण सिंह म0प्र शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 40/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27/11/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 23/7/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	